

19.06.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे०एन०मथुरिया(आर०ए०एस०)

आर.सी.एम.एस 2012 / 00132

अपील संख्या 26 / 2012 ( 225 आर.टी.एक्ट)

उनवान:-स्वरूप सिंह बनाम सुरेश चंद

वकील अपीलार्थी उप०। बहस एक तरफा सुनी गई। वकील अपीलार्थी की बहस है कि प्रत्यर्थी ने विवादित आराजी को गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करा लिया है एवं उस पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रत्यर्थी को स्थगन से पाबंद किया जावे। मूलवाद की वर्तमान स्थिती उपलब्ध नहीं है अतः किसी प्रकार के बचाव के आभाव में प्रत्यर्थी को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। मूलवाद के निस्तारण तक मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official